

SHRI LAL BAHADUR SHASTRI NATIONAL SANSKRIT UNIVERSITY

(Formerly Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Deemed to be University)

011-46060505, 506

एल.टी.सी. यात्रा हेतु लिए गये एडवांस के समायोजन का आवेदन-पत्र

(आवेदक द्वारा भरा जाना है)

[illegible]

[illegible][illegible]

12.	Amount of Advance, if any drawn by to employee. कर्मचारी द्वारा एडवांस के लिए निकाली गयी राशि, यदि कोई	Amount :-Rs राशि :रु. Drawn Date :- निकालने की तिथि :
13.	Total Amount Claimed दावे की कुल राशि	

DECLARATION BY EMPLOYEE:-

कर्मचारी द्वारा घोषणा :

1. The information as declared by the undersigned in this application are true to the best of my knowledge and belief. I also declare that no part of it is false and no material information has been concealed/ suppressed. Further, I am aware of the fact that if information as given in my application overleaf is found to be false/ incorrect in any manner, disciplinary proceedings shall be initiated against me as per Govt. of India rules.

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी समस्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सही है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि इसमें दी गयी जानकारी का कोई हिस्सा गलत नहीं है और इसके किसी भी तथ्य को गुप्त नहीं रखा गया है। इसके आलावा मैं इस तथ्य से भी वाकिफ हूँ कि यदि आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गयी जानकारी गलत पायी जाती है तो भारत सरकार के नियमानुसार मेरे विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

2. That my spouse is not employed in Government Service/ is employed in Government Service and the concession has not been availed of by him/her separately for himself/ herself or for any of the family members for the concerned block of years.....to.....

यह कि मेरे/मेरी पति/पत्नी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं हैं/ कार्यरत हैं और उनके द्वारा स्वयं/परिवार के किसी अन्य सदस्य के लिए ब्लाक वर्ष.....से.....तक रियायत सुविधा का लाभ नहीं उठाया गया है।

3. That my husband/wife for whom LTC is claimed by me is employed in.....(name of the Public Sector Undertaking /corporation/Autonomous Bodies etc.) which provides Leave Travel Concession facilities but he /she not preferred and will not prefer, any claim in this behalf to his/her employer.

यह कि मेरे/मेरी पति/पत्नी जिनके लिए मैंने एल.टी.सी. का दावा किया है वह.....
.....(सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम/निगम/स्वायत्त निकाय आदि) में कार्यरत हैं जो संस्थाएं छुट्टी रियायत यात्रा की सुविधा प्रदान करती हैं परंतु उन्होंने अभी तक अपने कार्यालय में इस सुविधा का उपयोग करने का दावा नहीं किया है।

4. That my wife/husband for whom LTC is claimed by me is not employed in Public Sector Undertaking /corporation/Autonomous Body financed wholly or partly by the Central Government or a Local Body, which provides LTC facilities to its employees and their family.

यह कि मेरी/मेरे पत्नी/पति जिनके लिए मैंने एल.टी.सी. का दावा किया है, वह किसी भी ऐसी संस्था जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निगम/स्वायत्त निकाय, जो पूर्ण एवं आंशिक रूप से वित्त देकर एल.टी.सी. सुविधा कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को प्रदान करती हैं, में कार्यरत नहीं है।

5. That my father/Mother/Sister/Brother/Son/Daughter is/are fully dependent on me and their income is less than Rs. 3500/- per month (excluding DA) and he/she/they is/are residing with me.

यह कि मेरे पिता/माता/बहन/भाई/पुत्र/पुत्री/पूर्ण रूप से मुझ पर निर्भर हैं, उनकी मासिक आय (डी.ए. को छोड़कर) रु. 3500/- से कम है और वह/वे मेरे साथ ही रह रहे हैं।

6. If it is detected by the employer at any point of time in future or at any stage of my employment or after superannuation that I was not entitled to this Leave Travel Concession which was sanctioned to me on account of misrepresentation of factual information by the undersigned/ or misinterpretation of rules or other-wise or due to whatever circumstances, the entire amount shall be recovered from my salary or arrears with panel interest as applicable under rules.

यदि भविष्य में कार्यालय द्वारा या मेरे कार्यकाल के किसी भी स्तर या सेवानिवृत्ति के बाद यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी जानकारी गलत थी तथा जिस छुट्टी रियायत यात्रा की स्वीकृति मुझे दी गयी, मैं उसका/उसकी हकदार नहीं था/थी तो नियमानुसार समस्त राशि का भुगतान ब्याज के साथ मेरे वेतन में कटौती करके किया जायेगा।

7. I have gone through the "CCS-Leave Travel Concession Rules-1988" as amended from time to time and have understood the implication from all angles.

मैं "CCS-छुट्टी यात्रा रियायत नियम-1988" से अवगत हूँ जोकि समय-समय पर संशोधित होते रहते हैं तथा उसमें निहित सभी कोणों को समझता/समझती हूँ।

8. I will deposit the bill pertaining to the journey performed under LTC within 30 days from the date of return from journey failing which advance, if any, shall be deposited by undersigned with panel interest within 15 days.

मैं यात्रा से वापस आने की तिथि से 30 दिन के भीतर की गयी यात्रा का बिल कार्यालय में प्रस्तुत करूंगा/करूंगी। अगर मैं ऐसा करने में असमर्थ रहता/रहती हूँ तो 30 दिन के बाद अगले 15 दिन के भीतर लिए गये एडवांस की राशि ब्याज के साथ मेरे द्वारा जमा की जाएगी।

Dated.....
दिनांक

Signature of employee
कर्मचारी के हस्ताक्षर